

पत्रांक : टी.टी.प्र० ६७० / 2018
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-१७

प्रेषक

निदेशक (शैक्षणिक),
 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
 पटना-१७

सेवा मे,

प्राचार्य / प्राचार्या,
 देशरत्न राजीव प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
 सदाकृष्ण आश्रम, पटना।

पटना, दिनांक १३/०८/२०१८

विषय : डी.एल.एड. कोर्स राचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे गृहित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, गुवनेश्वर उडीरा के पत्रांक F.No.-I.R-242.6.15/ERCAPP4076/D.E.I.Ed./2017/53999, दिनांक 01.08.2017 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य मे एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापति प्रभाग पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के आलोक मे सरथान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित शत/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापति प्रभाग पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित राती के द्वारा सम्बन्धित प्रदान करने की अनुशासा की गयी।

- राती :-
1. सरथान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा ऐम्पुलेशन, 2014 मे निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ऐम्पुलेशन, 2014 के परिशिष्ट-२ अनुच्छेद-२२ (ac) मे निर्दिष्ट प्राचार्यान्मानों समान प्रत्येक धर्मों मे दो दो दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य मे व्यतिरिक्त की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
 3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठ्यक्रम के सदर्ग मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Mat Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay द्वारा प्रदेश राज्य एवं अन्य के मानके मे पारित न्यायादेश जो क्रमांक: (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 मे प्रकाशित कडिका 91.1, 91.2 के साथ कडिका-२ मे दिये गये निदेश के आलोक मे निर्धारित मापदण्डों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
 4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारम्भ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रामय-सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली मे निर्धारित वर्ग राचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी तरह करती है तो वैसी स्थिति मे समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति मे महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा मे रामिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
 5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त सरथानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सहाय होगी।
 6. सरथान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-वाय से संबंधित अकेलाण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
 7. सरथा विविल रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के माध्यम/देखाने का युग्मतान वेक के युग्मम से करेंगी एवं उसके गतिष्ठ निधि कटौती का विवरण रखारित करेंगी।

(५)

(१)

(१)

8. नियुक्त विदेशी गये शैक्षणिक एवं मैर-शैक्षणिक कमिटी के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी। एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
 9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरात आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
 10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित वर्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
 11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
 12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्य एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
 13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान में समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
 14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज़ जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
 15. संस्थान नियंत्रित प्रदान में अनिवार्य ब्रक्टेज का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक बेक्साइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी जानकारी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
 16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तगान से रांगालित डी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
 17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी सकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आगार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2018-20 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थीयों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स सावालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

३१/६/२०१८ विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-१७

ज्ञापक :

टी.टी.प्र. ६७० / 2018

पटना, दिनांक १३/०६/२०१८

प्रतिलिपि :

दोग्रीय निदेशक ERC, NCTE दोग्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उडीसा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, विहार, पटना / अध्यक्ष के आप सचिव एवं सचिव के आप सचिव, विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

३१/६/२०१८ विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-१७

ज्ञापक :

टी.टी.प्र. ६७० / 2018

पटना, दिनांक १३/०६/२०१८

प्रतिलिपि :

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

३१/६/२०१८ विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-१७